

अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र)
अनुज्ञापन प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश
कृषि भवन- लखनऊ

मैं शपथीपुत्र श्रीउम्रनिवासी.....का हूँ तथा
शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि शपथी उपरोक्त शपथपत्र का शपथी है तथा शपथपत्र में वर्णित तथ्यों से भलीप्रकार जानकार है।
2. यह कि शपथी मे0.....के नाम से प्रदेश स्तर पर बीज व्यवसाय करनी चाहती है।
3. यह कि शपथी उपरोक्त फर्म का प्रोपाइटर तथा फर्म का विधि एवं विभागीय नियमों के अंतर्गत उपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु अधिकृत है।
4. यह कि शपथी ने उक्त फार्म का यथा नियम व्यापार करने हेतु पंजीकरण करा लिया है और व्यापार जमा करने हेतु वचन बद्ध है।
5. यह कि शपथी बयान करता है कि बीज के व्यापार में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (अधिनियम सं. 10 1955) के बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं विभाग द्वारा निर्गत किये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यहाँ कि उक्त फार्म आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन या उसके किसी आदेश के अंतर्गत विगत तीन वर्षों (यथा स्थिति) में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही इससे पूर्व दोष सिद्ध किया गया है और न ही पूर्व में फर्म काली सूची में डाली गयी है और न ही पूर्व में जारी बीज अनुज्ञप्ति निलम्बित चल रही है।
7. बीज अनुज्ञप्ति इससे पूर्व प्राप्त नहीं की गयी है।
8. यह की शपथी बीज व्यवसाय से सम्बन्धित अभिलेख कैशमेमो बिलबुक, स्टॉक रजिस्टर आदि जहाँ-जहाँ स्टॉक का स्टोर बनायेगा सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी से प्रत्येक माह सत्यापित कराता रहेगा।
9. प्रत्येक माह की बीज व्यवसाय सम्बन्धी सूचना (घ) पर अगली माह की तीन तारीख तक सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उसकी दो प्रति कृषि निदेशालय के बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग को उपलब्ध कराता रहेगा।

